

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 13/2020-21



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

मंगरा पहान

- विक्रेता

मोनिका तिडू

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
14.07.20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक मंगरा पहान पिता स्व० सिंगराय पहान ग्राम-बेलवादाग, थाना-खूँटी जिला खूँटी ने मोनिका तिडू पति नियरन कुजरी ग्राम-खूँटी टोली, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="247 716 1396 828"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बेलवादाग</td> <td>243</td> <td>13</td> <td>784</td> <td>0.08</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0727185974 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 526 दिनांक 07.07.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम बिरसा पहान हैं। पंजी II के अनुसार सेडया पाहन वगैरह के नाम भूमि का रकबा 15.05 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 1.25 एकड़ भूमि के आलावा अन्य खाता सं० 09 रकबा 1.40 एकड़ भूमि कुल रकबा 2.65 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 48636.00(अड़तालीस हजार छः सौ छतीस)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिरसेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.57 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खारा, मन्दिर, गरिजद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मंगरा पहान पिता स्व० सिंगराय पहान को मोनिका तिडू पति नियरन कुजरी के साथ ग्राम बेलवादाग के खाता सं० 13 खेसरा संख्या 784 कुल रकबा 0.08 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 48636.00(अड़तालीस हजार छः सौ छतीस)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"> मोनिका तिडू भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;"> मंगरा पहान भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	बेलवादाग	243	13	784	0.08	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)								
बेलवादाग	243	13	784	0.08								